इंडसइंड बैंक - जैगल कुबेर कार्ड के नियम और शर्तें

1. कार्ड खरीदने, एक्टिवेट करने, उपयोग करने या उपयोग करने का प्रयास करने, ट्रांजैक्शन संबंधी जानकारी प्राप्त करने या कार्ड में लोड की गई राशि को रिडीम करने के किसी भी अधिकार का उपयोग करने पर आप इन नियमों और शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत होते हैं। अगर आप यह कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं, तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि वह व्यक्ति कार्ड पर लागू नियमों और शर्तों से अवगत हो। कार्ड के यूजर को सलाह दी जाती है कि कार्ड का उपयोग करने से पहले कार्ड के पीछे दिए गए निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें। कार्ड इंडसइंड बैंक ("बैंक") की संपत्ति बना रहेगा।

2. यह कार्ड एक वीजा प्रीपेड कार्ड है जिसका उपयोग एक्टिवेट होने के बाद केवल भारत में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है।

3. कार्ड का उपयोग उपलब्ध बैलेंस से अधिक राशि के ट्रांजैक्शन के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए, अगर मर्चेंट सहमत हो, तो आपको शेष राशि किसी अन्य माध्यम से भुगतान करनी होगी।

4. कार्ड को दोबारा लोड नहीं किया जा सकता है। कार्ड की वैधता अवधि एक वर्ष है। यह कार्ड के सामने दर्ज समाप्ति तिथि तक मान्य है और समाप्ति के बाद उपयोग नहीं किया जा सकता। कार्ड का उपयोग कैश लेने या रिडीम करने के लिए नहीं किया जा सकता और इसका उपयोग डायरेक्ट डेबिट, रिकरिंग या रेगुलर इंस्टॉलमेंट भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता।

5. जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड ("जैगल") कार्ड की समाप्ति से 45 दिन पहले आपको इसकी सूचना देने के लिए एक एसएमएस भेजेगा। अगर नए पीपीआई को फिर से जारी करके पीपीआई की वैधता बढ़ाने के लिए कोई जवाब नहीं मिलता है, तो यह माना जाएगा कि पीपीआई बैलेंस को सोर्स अकाउंट में वापस ट्रांसफर करने के लिए सहमति दे दी गई है। कृपया सुनिश्चित करें कि संपर्क जानकारी अपडेट हो।

6. कार्ड का उपयोग किसी भी एटीएम पर कैश निकासी या किसी अन्य एक्टिविटी के लिए नहीं किया जा सकता। अगर कार्ड का उपयोग एटीएम पर करने का प्रयास किया जाता है, तो एटीएम द्वारा ट्रांजैक्शन अस्वीकृत किए जाने के अतिरिक्त, कार्ड पर किए गए सभी ट्रांजैक्शन के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। कार्ड पर किए गए सभी ट्रांजैक्शन के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

7. अगर आपको कार्ड से जुड़ी कोई गलती दिखे, तो आप 1860 500 1231 (सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक) या care@zaggle.in पर सूचित करें।

8. अगर आपको कार्ड से की गई खरीदारी या किसी मर्चेंट से विवाद संबंधी कोई समस्या है, तो आपको सीधे संबंधित मर्चेंट से संपर्क करना होगा। जैगल और बैंक में से कोई भी आपके द्वारा किसी मर्चेंट से प्राप्त उत्पादों और/या सेवाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
   अगर आप मर्चेंट के साथ विवाद का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो आप हमसे 1860 500 1231 (सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक) या care@zaggle.in पर संपर्क कर सकते हैं।

9. बैंक और/या जैगल आपके कार्ड पर रोक लगाने का अधिकार रखते हैं अगर:

10. आप सूचित करते हैं कि आपका कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है; या

11. बैंक और/या जैगल को यह विश्वास हो (या उचित संदेह हो) कि कार्ड का उपयोग इन नियमों और शर्तों के विपरीत किया गया (या किया जाएगा) है।

12. सभी ईंधन खरीद पर 1.18% या ₹11.8 (जो भी अधिक हो), का फ्यूल सरचार्ज लागू होगा।

13. बैंक और/या जैगल, आपके अनुरोध पर और अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, खोए हुए, चोरी हुए या क्षतिग्रस्त कार्ड के बदले कार्डधारक को रिप्लेसमेंट कार्ड जारी कर सकते हैं।

कार्डधारक को जारी किए गए प्रत्येक रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए ₹100 तथा टैक्स लागू होंगे।

14. कार्ड ट्रांजैक्शन पर किसी भी प्रकार का रिफंड संबंधित मर्चेंट की पॉलिसी के अधीन होगा। राशि वापसी कार्ड में जमा राशि, कैश वापसी या स्टोर क्रेडिट के रूप में हो सकती है। अगर कार्ड समाप्त हो जाता है या कैंसल कर दिया जाता है, और आपने रिफंड से प्राप्त राशि का उपयोग नहीं किया है (चाहे मूल ट्रांजैक्शन कार्ड से किया गया हो या नहीं), तो आपके पास उन फंड का कोई एक्सेस नहीं होगा।

15. कार्ड बंद करने के लिए, बंद करने का अनुरोध करने से पहले शेष राशि का उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद, आवश्यक सत्यापन के बाद कार्ड बंद करने का अनुरोध प्रोसेस किया जाएगा।

16. अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की ऑनलाइन जांच करना और उपलब्ध बैलेंस की जानकारी रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप www.zaggle./payments पर या 1860 500 1231 (सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक) पर जैगल को कॉल करके या care@zaggle.in पर संपर्क करके अपना बैलेंस देख सकते हैं।

17. अगर कार्ड के संबंध में आपका कोई प्रश्न है, तो आप हमसे 1860 500 1231 (सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक) या care@zaggle.in पर संपर्क कर सकते हैं।

अगर आपकी समस्या/चिंता का समाधान नहीं होता है या आप समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो किसी भी उच्च स्तरपर शिकायत करने के लिए आप सीधे बैंक से reachus@indusind.com पर संपर्क कर सकते हैं।

18. कानून द्वारा अनुमति होने पर, कानून द्वारा आवश्यक होने पर तथा कार्ड संचालन और ट्रांजैक्शन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होने पर, कार्ड या कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन की जानकारी थर्ड पार्टी को प्रदान की जाएगी।

19. उपरोक्त में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यूजर यह स्वीकार और कंफर्म करता है कि कार्ड के उपयोग की पूर्व शर्त के रूप में, यूजर बैंक और/या जैगल को निम्नलिखित का खुलासा करने की सहमति देता है:

- कार्ड/यूजर से संबंधित जानकारी और डेटा;
- इस एग्रीमेंट की किसी भी शर्त से जुड़ी जानकारी या डेटा; और
- यहां निहित दायित्वों को पूरा करने में यूजर द्वारा किए गए किसी भी चूक को, बैंक और/या जैगल द्वारा उपयुक्त और आवश्यक समझे जाने पर, क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड तथा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रकट और उपलब्ध कराया जा सकता है।

20. आप इसके द्वारा बैंक और जैगल को उन सभी कार्यों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, व्यक्तिगत नुकसान, लागतों, शुल्कों और खर्चों से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए सहमत हैं, जो बैंक या जैगल को आपके कार्ड उपयोग करने या कार्ड से होने वाली किसी भी दूसरी वजह से किसी भी समय उठाने पड़ सकते हैं, झेलने पड़ सकते हैं। जब तक यहां स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो, बैंक और जैगल, कार्ड के उपयोग से उत्पन्न किसी भी दायित्व से स्वयं को अलग रखते हैं।

21. बैंक और/या जैगल किसी भी समय इन नियमों और शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं और इन्हें हमारी वेबसाइट www.zaggle./terms-and-conditions पर अपडेट किया जाएगा तथा कार्ड से संबंधित सभी शुल्क और प्रभार किसी भी समय अपने पूर्ण विवेकाधिकार से बदले जा सकते हैं। कार्ड से संबंधित सभी शुल्क और प्रभार कार्ड बैलेंस से डेबिट करके या अन्य उपलब्ध और लागू माध्यमों से वसूल किए जाएंगे।

22. ये नियम और शर्तें भारत के कानूनों और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने और संचालन करने पर भारतीय रिजर्व बैंक के लागू निर्देशों के अनुसार शासित होंगी और उन्हीं के अनुसार नियंत्रित मानी जाएंगी।
सभी विवादों का निपटारा केवल मुंबई के न्यायालयों में होगा।

23. शुल्क अनुसूची: कुबेर गिफ्ट कार्ड के लिए शुल्क:

शुल्क का प्रकार	**शुल्क + जीएसटी**
कार्ड री-वैलिडेशन शुल्क	₹100.00 + जीएसटी
खोए हुए कार्ड का रिप्लेसमेंट	₹100.00 + जीएसटी

24. *18% जीएसटी लागू।

25. यूजर ग्राहक सेवा नंबर 1860 500 1231 (सोमवार से शनिवार, सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक) पर अनुरोध दर्ज करके या care@zaggle.in पर ईमेल भेजकर कार्ड री-वैलिडेशन और खोए हुए कार्ड के रिप्लेसमेंट का विकल्प चुन सकते हैं।

    - शुल्क + जीएसटी उपलब्ध कार्ड बैलेंस से डेबिट किया जाएगा।
    - कुबेर गिफ्ट कार्ड री-वैलिडेशन अनुरोध के मामले में, कार्ड की वैधता जारी होने की तिथि से 1 वर्ष/12 महीने होगी।
    - खोए हुए कुबेर गिफ्ट कार्ड के दोबारा जारी करने के अनुरोध के मामले में, कार्ड की वैधता जारी होने की तिथि से 1 वर्ष/12 महीने होगी।